समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.कं........ R 445 - I-17 (292) सन् 2016

रामकली पुत्री स्व.श्री चिन्टा अहीर पत्नि श्री बाबूलाल यादव

उम्र करीब 60 वर्ष, निवासी यादव कॉलोनी, छतरपुर

तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. ----------निगरानीकर्ता

बनाम

1. शासन म.प्र.
2. नारायण काले तनय स्व.श्री महेश्वर दामोदर काले
3. श्रीमती सरस्वती काले पत्नि स्व.श्री महेश्वर दामोदर काले
   नि0गण –46 नई कॉलोनी छतरपुर म.प्र.
4. सुभाष काले तनय स्व.श्री महेश्वर दामोदर काले
   जनरल मैनेजर अत्यावसायी विकास वित्त निगम भोपाल
5. श्रीमती चित्रलेखा तिलक पुत्री स्व.श्री महेश्वर दामोदर काले
   नि0 सुभाष पथ विदिशा म.प्र.
6. श्रीमती कुसुम गोडसे पुत्री स्व0 श्री महेश्वर दामोदर काले
   मोती बाग नई दिल्ली
7. श्रीमती ऊषा पलनींटकर पुत्री स्व.श्री महेश्वर दामोदर काले
   विमान नगर पूना (महाराष्ट्र)
8. सुधीर काले पुत्र स्व.श्री महेश्वर दामोदर काले इंजीनियर
   रेल्वे काल्हेर गॉव थागां (महाराष्ट्र)
9. श्रीमती शोभना विझे पुत्री स्व.श्री दामोदर काले
   सिचाई कॉलोनी जलगॉव (महाराष्ट्र)-------------------अनावेदकगण

निगरानी आदेश विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय छतरपुर के रा.प्र.कं. 33/अ–6–अ/03–04 मे पारित आदेश दिनांक 14.6.2004 जिसमे निगरानीकर्ता के स्वामित्व की भूमि के राजस्व रिकार्ड के सुधार के प्रकरण में उसे पक्षकार बनाये बिना निगरानीकर्ता का नाम निरस्त कर रिकार्ड सुधार करने का आदेश पारित करने से दुखी होकर ।

अनि रामकली अहीर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-445-एक/2017 जिला छतरपुर रामकली विरूद्ध शासन व नारायण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 33/अ-6-अ/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 14-06-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 25/2/19	